म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल)लिमि.

ई–5, तवा काम्पलेक्स विट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 के अनुसार उद्योग सहयोगी लद्यु सेवा व्यापार श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप फेस–।। में निर्मित दुकानों के विक्रय हेतु नीलामी सूचना

निविदा सूचना क्रं.–34 दिनांक

औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, सतलापुर फेस–।। के मुख्य मार्ग पर निर्मित दुकानों का भूतल जो उद्योग सहयोगी लद्यु सेवा व्यापार श्रेणी के अंतर्गत व्यवसाय हेतु उपयुक्त है, हेतु मोहरबंद निविदायें, निर्मित दुकानें विक्रय करने हेतु एकमुश्त आधार पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक 27.09.2011, 3.00 बजे तक ` 1000/– भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते है। मोहरबंद निविदायें दिनांक 28.09.2011 को 3.00 बजे तक निगम के मुख्यालय म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो.)मर्या., तवा काम्पलेक्स, में व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है डाक से प्राप्त निविदाये विलम्ब से प्राप्त होने पर विचार नही किया जायेगा एवं इसके लिये आवेदक स्वयं ही उत्तरदायी होगें। दिनांक 28.09.2011 को सायं 4.00 बजे निविदाएँ खोली जाएगी।

दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (प्रति दुकान)	ऑफसेट मूल्य (₹ लाख में) (प्रति दुकान)	धरोहर राशि ` (प्रति दुकान)
1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12, 13	8.415	2.00	₹ 18,000/–

नियम एवं शर्ते :–

1. प्रस्ताव स्वीकृत करने/अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
2. एक व्यक्ति/भागीदारी/फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था को एक ही दुकान प्राप्त करने की पात्रता होगी। निर्मित दुकान का भूखण्ड 30 वर्ष की लीज पर रहेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ पेन कार्ड की प्रति लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक के नाम के साथ मोहरबंद प्रस्ताव के लिफाफे पर दुकान के नंबर का उल्लेख करते हुये एवं पृथक लिफाफे में निर्धारित धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल)लिमि. भोपाल के पक्ष में देय हो जमा करनी होगी।
5. निविदा फार्म के साथ संलग्न तथा निगम द्वारा समय–समय पर जारी नियम एवं शर्ते आवेदनकर्ता पर लागू होगी।
6. म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भो.)मर्या., द्वारा निर्धारित वार्षिक भू–भाटक की राशि एवं संधारण शुल्क का भुगतान प्रतिवर्ष करना होगा।
7. आवेदक स्थल पर अथवा कार्यालय में आकर दुकानों के क्रम का अवलोकन कर सकते है एवं नीलामी संबंधी अन्य शर्ते अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।

प्रबंध संचालक

लीज पर विक्रय की जाने वाली दुकान हेतु नियम व शर्तें

1. म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा एक मुश्त मूल्य पर विक्रय की जाने वाली प्रत्येक दुकान का भूखण्ड 30 वर्ष की लीज पर रहेगा। निगम द्वारा निर्धारित लीज रेन्ट की राशि आवंटी द्वारा प्रतिवर्ष अग्रिम के रूप में देय होगी।

2. लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उस समय जो शर्तें निर्धारित की जायेगी, उन शर्तो पर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

3. धरोहर राशि हेतु डी.डी./बैंकर्स चेक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के नाम देय होगी जो सफल होने पर मूल राशि में समायोजित की जायेगी।

4. सफलतम निविदाकार को सूचना प्राप्ति के 45 दिन के अंदर सम्पूर्ण राशि जमा करनी होगी। निर्धारित समय में राशि जमा न करने पर जमानत की राशि राजसात करते हुये सम्पत्ति पुनः विक्रय की जावेगी।

5. दुकान का उपयोग म.प्र. औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 में उल्लेखित उद्योग सहयोगी लघु सेवा व्यापार श्रेणी के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों के लिये किया जाावेगा।

6. लीज पर दी गई जगह के अतिरिक्त अन्य किसी जगह का उपयोग पट्टेदार द्वारा नहीं किया जावेगा एवं बिना अनुमति के कोई तोड़–फोड़ एवं निर्माण नहीं किया जावेगा।

7. विक्रय विलेख एवं भूखण्ड लीज निष्पादन के पूर्व/पश्चात् किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण संबंधी कोई भी कार्यवाही के लिये म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल में पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा जो भी हस्तान्तरण शुल्क होगा वह जमा करना होगा।

8. वार्षिक भू–भाटक एवं संधारण शुल्क म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल)लिमि. भोपाल द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप देय होगा।

9. कोई भी बकाया राशि निर्धारित समयावधि में जमा न करने पर 18 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा तथा बकाया राशि भू–राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य होगी।

10. आवंटित दुकान/हॉल की छत पर म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का अधिकार रहेगा। ऊपर की मंजिल निर्मित कर विक्रय करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

11. विक्रय विलेख एवं भूखण्ड लीज की किसी भी शर्त का उल्लंघन पट्टेदार द्वारा किये जाने पर निगम को लीज निरस्त कर जमा की गई सम्पूर्ण राशि राजसात (जप्त) कर भूखण्ड का आधिपत्य वापिस लेने का अधिकार रहेगा।

12. बिजली कनेक्शन, जल कनेक्शन, आवंटी के स्वयं के व्यय से संबंधित कार्यालय से लेना होगा जिस पर उनके नियमानुसार प्रभार एवं कर आवंटी द्वारा देय होगा।

13. स्वामित्व के फलस्वरूप स्थानीय कर आवंटी को स्वयं भुगतान करना होगा।

14. नीलामी प्रक्रिया/पद्धति एवं भूखण्ड आवंटन से संबंधित सभी कार्यो/तथ्यों/विवादों आदि हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा एवं निविदा स्वीकृति एवं बिना कारण बताये निरस्तीकरण का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल)लिमि. भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

15. म.प्र. औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 में उद्योग सहयोगी लघु सेवा व्यापार श्रेणी के अंतर्गत यह भू-खण्ड लीज पर रहेगा एवं उक्त नियम के अनुसार आशय पत्र, शर्तो का सहमति पत्र, आवंटन आदेश जारी किये जावेंगे तथा लीज डीड निष्पादित होगी।

16. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में माननीय जिला न्यायालय रायसेन में प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रबंध संचालक